झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम्-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री नागेन्द्र महतो एवं श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत, बगोदर प्रखंडाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (GT Rd) में ट्रामा सेन्टर का नहीं होने से लोगों के जान माल की भारी क्षति हो रही है। आये दिन दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जिन्दगी त्वरित इलाज के अभाव में काल-क्वलित हो रही है। अतः उद्धृत मांग में जनहित में तत्काल ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने की ओर सरकार का आसन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
02-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा धनबाद में छः हजार क्वार्टर बनाने का निर्णय लिया गया। यह क्वार्टर अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों के लिए बनाया जाना था। इस हेतु मेसर्स Unity-KCPL(JV) कम्पनी को कुल 224 करोड़ रूपये का टेंडर नोटिस संख्या JRDA/VA/IFB-9/2013-14 दिनांक- 01.02.2014 द्वारा कार्यादेश दिया गया। टेंडर की शर्तो के विपरीत मेसर्स द्वारा सही सूचना नहीं दिये जाने के कारण उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। टेंडर की शर्त्तो के अनुसार जमानत राशि अंके- 2 करोड़ 24 लाख रूपये जब्त कर लिया जाना था किन्तु पदाधिकारियों की मिलीभगत से उस जमानत राशि का भुगतान मेसर्स को कर दिया गया। पदाधिकारियों की इन मनमाने एवं अनियमित कार्य से सरकार को 2 करोड़ 24 लाख रूपये की राजस्व हानि तो हुई ही साथ ही विस्थापितों को अभी तक क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अतः मैं इस वित्तीय अनियमितता में शामिल पदाधिकारी के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने तथा विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	भवन निर्माण

क0प0उ0

01.	02.	03.	04.
03-	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखंड के मौजा गुदिया नं0 689 के गैर मजुरूआ खाता न0 39 के दाग न0 14 कूल रकबा 6.86 एकड़, किस्म- पहाड़ कह कर दर्ज है। जिसपर राजमहल परियोजना) ललमटिया (के द्वारा अवैध तरीके से गेस्टहाउस का निर्माण कराकर प्राईवेट कम्पनी RCML को करीब एक करोड़ रू0 सालाना किराया पर दे दिया गया, इसके अलावे दा0न0-13 के 9.5 एकड़ गोचर जमीन में भी कब्जा है। जो SPT एक्ट का खुलेआम उलंघन है। उक्त जमीन पूर्ण रूपेण राज्य सरकार की है। साथ ही CBA एक्ट के प्रावधान के मुताविक अधिगृहित भूमि में सिर्फ खनन का कार्य किया जा सकता है, एवं जिस उद्देश्य से भू-अर्जन किया गया है उसकी पूर्ती होने के पश्चात भूमि को मूल अवस्था में लाकर मूल रैयतों को वापस करने का प्रावधान है परन्तु राजमहल परियोजना) ललमटिया (द्वारा सिमड़ा) बोआरीजोर (जैसे गांव के रैयतों को भूमि वापस ना देकर उस जमीन पर पुनरस्थापन का कार्य कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो मूल रैयतों के साथ धोखा हो रहा है, वहीं विस्थापित परिवारों का विस्थापन के पश्चात Record of Right में उनके पास भूमि नहीं रहेगी और ना ही भविष्य में प्रकाशित खतियान में इनका नाम रहेगा। जिससे उन्हें जाति, निवासी प्रमाण-पत्र भी निर्गत नहीं हो सकेगा। उक्त सम्बन्ध में उपायुक्त गोड्डा द्वारा भी पत्रांक-785/6.12.13, पत्रांक- 664/27.10.14 एवं पत्रांक- 718/19.11.14 द्वारा सरकार के प्रधान सचिव, राजस्व व भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा गया था। अस्तु उक्त गुदिया मौजा का सरकारी भूमि को राजमहल परियोजना के अतिक्रमण से मुक्त कर राज्य सरकार के कब्जे में वापस कराने के साथ-साथ CBA एक्ट के तहत अधिगृहित भूमि को खनन के पश्चात मूल रैयतों को वापस कराने एवं विस्थापियों का पुनर्वास LA एक्ट के तहत अधिगृहित भूमि में कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0

04-	सर्वश्री दीपक बिरूवा,दशरथ गागराई एवं श्री निरल पुरती स0वि0स0	राज्य में 8 वर्षो में अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से मनरेगा में वर्ष- 2007 से लेकर अबतक बिना जमीनी विकास के कागजों पर ही योजनायें बनती रही और पैसे की बन्दरबांट होती रही, जिसमें जिला प0 सिंहभूम में 150 करोड़, चतरा में 110 करोड़, गोड्डा में 80 करोड़, राँची, गुमला, खूँटी में 90 करोड़ व रामगढ़ में 60 करोड़ (कुल 500 करोड़) का हेराफेरी की गई। जाँच के क्रम में 6 आईएएस, 17 जेएएस, 6 एक्जी, इंजीनियर, 9 डायरेक्टर, 5 कर्मचारी एवं 4 असिस्टेंट इंजीनियर को दोषी ठहराया। एतएव अनुरोध है कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार में संलिप्त उक्त वर्णित पदा0/कर्म0 को चिहित कर अबिलम्ब कानूनी कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास
05-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	राज्य के लगभग सभी जिलों में हजारों एकड़ वन भूमि भू-माफियाओं ने अफसरों की मिली- भगत से सरकारी नक्शे से गायब कर दी हैं क्योंकि वन प्रमंडलों के पास वन भूमि के बारे में पूरी रिकार्ड तक नहीं है। साथ-ही-साथ राज्य में अबतक करीब 50,177.80 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमित हैं जिसकी सरकारी कीमत करोड़ों रूपये हैं। विदित हो कि उक्त मामले की सच्चाई सामने आने के बाद सरकार की ओर से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है जो उक्त मामले की जाँच कर प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगी। परन्तु एक वन अधिकारी द्वारा एक वन पदाधिकारी की कार्य शैली की जाँच में पारदर्शिता संभव प्रतीत नहीं होती हैं बल्कि इतनी बड़ी भूमि घोटाले की जाँच सरकार को किसी स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिये। ताकि उक्त मामले की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस राज्यहित के मामले पर आकृष्ट करना चाहूँगा।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

राँची,
दिनांक- 18 फरवरी, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-01/2016-.....1179.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/2/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/02/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-01/2016-.....1179.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/2/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/02/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

17/02